

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाड़पाथर, पो0-मुर्धवा (रेनुकूट) सोनभद्र-उ0प्र0

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



पंजीयन संख्या-1482/2002-03

दूरभाष - (05446) 256569
फैक्स नं0-(05446) 255777

पत्रांक.....


दिनांक.....

Criterion V – Student Support and Progression

Metric No. : 5.2.2 Percentage of students qualifying in state/national/ international level examinations during the last five years (eg: JAM/CLAT/GATE/ GMAT/ CAT/ GRE/ TOEFL/ Civil Services/State government examinations)

Link of relevant document

- 2022-23
- 2021-22
- 2020-21
- 2019-20
- 2018-19



प्राचार्य
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेनुकूट)
सोनभद्र (उ० प्र०)

आदेश

उपनिरीक्षक ना०पु०, प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सीधी भती-2020-21 अन्तिम चयन परिणाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सूचना विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-दो-2(11-वि०मे०लि०)/2021, दिनांक 12-06-2022 द्वारा घोषित किया गया है, जिसके अनुसार उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर 9027 (पुरुष-7222 महिला -1805) को चयनित किया गया है।

2- अध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या पीआरपीबी-दो-2(11-वि०मे०लि०)/2021, दिनांक 05-07-2022 के द्वारा उपरोक्तानुसार चयन परिणाम मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या: ए-3737/2022 रावेन्द्र प्रताप सिंह व 49 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में अन्य तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में EWS श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या: ए-8243/2022 युवराज उपाध्याय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या: ए-7119/2022 रवि शंकर त्रिपाठी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया गया है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 (यथासंशोधित) भाग-छ: के प्रस्तर 18 (1) में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:-

18- (1) नियम 15 एवं नियम 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्त प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के खण्ड (ड.) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हो। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

4- पुलिस महानिदेशक/अ०पु०म०, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: प्रनि-प-90-2022/4739, दिनांक 02-02-2023 द्वारा अभ्यर्थी को दिनांक 13-03-2023 से प्रशिक्षण संस्थान पी०टी०सी० उन्नाव में प्रारम्भ होने वाले उपनिरीक्षक ना०पु० के आधारभूत प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित करते हुये दिनांक 12-03-2023 को सांयकाल तक प्रशिक्षण संस्थान में आगमन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या: पांच-111(उ०नि०सी०भ०-2020-21)-2022 दिनांक: 06-02-2023 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

5- उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 यथासंशोधित के नियम 3(ख) के अनुसार उपनिरीक्षक ना०पु० के नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक, से है।

6- अतएव उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 यथासंशोधित के नियम 3 (ख) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उपनिरीक्षक ना०पु०, प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सीधी भर्ती-2020-21 के अन्तर्गत उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान में आगमन किये जाने की तिथि से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्रेड वेतन रुपया: 4200/- मैट्रिक लेबल-6, का न्यूनतम वेतन रुपया: 35,400/- में अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त किया जाता है :-

क० सं०	अनुक्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता	गृह जनपद	आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षण संस्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	GO1523388538	प्रेम नाथ	गोविन्द प्रसाद	वार्ड नं०- 09 पो०- दुद्धी थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र 231208	सोनभद्र	पी०टी०सी० उन्नाव



.....2/-

7- यह नियुक्ति पूर्ण रूपेण अस्थाई होगी, जो सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा यदि आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के 01 माह के अन्दर आधारभूत प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में आगमन नहीं करता है, तो सेवा नियमावली के नियम 18(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार इनका चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या: ए-3737/2022 रावेन्द्र प्रताप सिंह व 49 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में EWS श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या: ए-8243/2022 युवराज उपाध्याय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या: ए-7119/2022 रवि शंकर त्रिपाठी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9- आधारभूत प्रशिक्षण अवधि में सम्बन्धित प्रशिक्षुओं पर पी०टी०सी० मैनुअल के प्रावधान लागू होंगे। आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षु द्वारा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर इन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जनपद आवंटन के आदेश पृथक से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

संख्या:सीओएम-पॉच-111(उ०नि०सी०भ०-2020-21)2022-एसी-2/1496
दिनांक: फरवरी 16, 2023

(आर०पी० सिंह)

पुलिस उप महानिरीक्षक
विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर।
16 FEB 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- पुलिस उपमहानिरीक्षक स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- प्रधानाचार्य/संस्थान प्रमुख पी०टी०सी० उन्नाव को अभ्यर्थी से सम्बन्धित पत्रावली को मूलरूप में संलग्न कर कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के उपरान्त निर्धारित 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु अपना योगदान नहीं करता है, तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार सेवा नियमावली के नियम 18 (1) में दी गयी व्यवस्थानुसार इनका चयन/नियुक्ति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- मूल पत्रावली (क्रमांक-01 से 71 तक)

4- पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को दो प्रतियों में इस अनुरोध से कि उपरोक्त अभ्यर्थी को स्थानीय थाने के माध्यम से एक प्रति प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति का हस्ताक्षर मय दिनांक कराकर इस कार्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

पंजीकृत प्रतिलिपि:-

5- श्री प्रेम नाथ पुत्र गोविन्द प्रसाद निवासी वार्ड नं०- 09 पो०- दुब्दी थाना दुब्दी जनपद सोनभद्र 231208 को इस निर्देश से कि उप निरीक्षक ना०पु० के आधारभूत प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नियत तिथि तक प्रशिक्षण संस्थान में आगमन कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के 01 माह के अन्दर आधारभूत प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में आगमन नहीं करते हैं, तो सेवा नियमावली के नियम 18 (1) में दी गयी व्यवस्थानुसार आपके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने साथ मैस एडवांस, मौसम के अनुसार कपड़े व बिस्तर अपने साथ लेकर जायेंगे तथा बन्ध पत्र के साथ संलग्न प्रारूप परिशिष्ट ख (1) एवं ख (2) कमश: तैयार कराकर अपने साथ लेकर आवंटित उक्त प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथापरि।

(आर०पी० सिंह)

पुलिस उप महानिरीक्षक
विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर।
16 FEB 2023



योगदान प्रपत्र



श्री/श्रीमती/श्री KSEMENDRA KUMAR, पिता/पति BHANU PRAKASH PATHAK, पता- VILLAGE - WAR, PO - WAR PS - MADANPUR, AURANGABAD, Aurangabad (Bihar)-824103 बतौट विद्यालय अध्यापक (ID No. BPJEH12316497246) जिला - जहानाबाद के प्रखंड - KAKO के विद्यालय U.H.S.UTTAR SERTHU (10330410002) में आज दिनांक 15/02/2024 को पूर्वानु/अपराह्न अपना योगदान समर्पित करता/करती है।

Shani
15.02.2024
प्रतिहस्ताक्षरित

(विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर)
ALAMGIR SHAMS
प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम:-



क्षेमendra कुमार

योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक का हस्ताक्षर

नाम:- KSEMENDRA KUMAR

विद्यालय की मुहूर्त:-

प्रधानाध्यापक
अक्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरसेरथु
काको (जहानाबाद)



नोट:- प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को कर्तव्य है कि वह इस योगदान प्रपत्र की मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद को सौंपे और उसकी एक छाया-प्रति अपने कार्यालय में रखें।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद
विद्यालय पदस्थापन पत्र



पत्रांक: JEH/ADV-26/2023/SAL/GT(9-10)/4951445

दिनांक: 08-02-2024

पद का नाम:- विद्यालय अध्यापक (9-10)

विषय:- संस्कृत

प्रेषित,

KSHEMENDRA KUMAR

S/O : BHANU PRAKASH PATHAK

Category - EWS

Roll No. - 837801

ID No. - BPJEHI2316497246

Address - VILLAGE - WAR, RD - WAR PS - MADANPUR, AURANGABAD, Aurangabad (Bihar)-824103

आपको बतौर विद्यालय अध्यापक, जिला - जहानाबाद के अखंड - KAKC के विद्यालय - U.H.S.UTTAR
SERTHU (10330410002) में पदस्थापित किया जाता है। आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा।
आप अपना योगदान संलग्न योगदान पत्र के अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष इस पत्र के
निर्गत होने की तिथि से 02 (दो) दिनों के अन्दर करें।

प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक संलग्न पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जहानाबाद के कार्यालय में समर्पित करेंगे, जहां योगदान संबंधी प्रविष्टि साप्टवेयर के माध्यम से सत्यापित की
जाएगी।

आपकी पटिवीक्षा अवधि भी विद्यालय के योगदान की अवधि से प्रारंभ होगी।

अनुलग्नक:-यथोक्त

विश्वासभाजन

(Signature)

जिला शिक्षा पदाधिकारी

जहानाबाद।